Recommendation No.-242- Differentiate compliance inspection requirements based on risk profile (such as High, Medium and Low risk) of industries under all labour laws

Recommendation No.-243- Exempt low risk industries with a history of satisfactory compliance from labour compliance inspections, or allow self-certification in lieu of conducting physical inspections under all Labour laws

Recommendation No.-246- Allow for third party certifications instead of Departmental inspections under all labour laws for medium risk industries
(Ref: http://www.labour.bih.nic.in)

Notifications

हिंदी फौन्ट डॉउनलोड करने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें

Click on the Description to bring up related document details for viewing or local printing. You will also be given an option to either save the document on your system or to open it using Acrobat Reader. To render Hindi text correctly, download and install fonts using the link given above.

SL	Date	Description
1.	01-03-2016	ज्ञापांक:243-247 श्रम संसाधन विभाग (श्रम पक्ष) के पदाधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार दिए जाने के सम्बन्ध में.
2.	26-02-2016	ज्ञापांक:242 उप प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के पद पर दो अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी/नियुक्ति रद्द किये जाने के सम्बन्ध में.
3.	26-02-2016	ज्ञापांक:241 प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के पद पर दो अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी/नियुक्ति रद्द किये जाने के सम्बन्ध में.
4.	24-02-2016	ज्ञापांक:155 किसी भी कारखाना /औद्योगिक स्थापनाओं का विभिन्न श्रम अधिनियमों के अधीन लगातार दुबारा निरिक्षण उसी निरीक्षक के द्वारा नहीं किये जाने के सम्बन्ध में.
5.	24-02-2016	ज्ञापांक:714-715 बिहार कारखाना (संशोधन) नियमावली 2016.
6.	22-02-2016	ज्ञापांक:229 बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु श्री शैलेश कुमार, संयुक्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को नोडल पदाधिकारी नामित किये जाने के संबंध में.
7.	19-02-2016	ज्ञापांक:85 बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार(नियोजन एवं सेवा शर्ते विनियमन) (संशोधन) नियमावली 2016.
8.	19-02-2016	ज्ञापांक:228 श्री संजय कुमार सिन्हा, जिला नियोजन पदाधिकारी, नालंदा को बिहार सेवा संहिता के नियम 227 एव 230 मे निहित प्रावधान के तहत दिनांक 01.01.2016 से 31.01.2016 तक कुल 31 दिनों की उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति दिए जाने के सम्बन्ध में
9.	18-02-2016	ज्ञापांक:635-636 बिहार मातृत्व प्रसुविधा (संशोधन) नियमावली 2016.
10.	18-02-2016	ज्ञापांक:633-634 बिहार अन्तर्राज्जीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन विनियमन एवं सेवा शर्ते) (संशोधन) नियमावली 2016.
11.	18-02-2016	ज्ञापांक:631-632 बिहार मजदूरी भुगतान (संशोधन) नियमावली 2016.
12.	18-02-2016	ज्ञापांक:629-630 बिहार न्यूनतम मजदूरी (संशोधन) नियमावली 2016.
13.	18-02-2016	ज्ञापांक:627-628 बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान (संशोधन) नियमावली 2016.
14.	18-02-2016	ज्ञापांक:625-626 बिहार ठेका मजदुर (विनियमन एवं उन्मूलन) (संशोधन) नियमावली 2016.
15.	18-02-2016	ज्ञापांक:621-622 बिहार मोटर परिवहन कर्मचारी (संशोधन) नियमावली 2016.
16.	18-02-2016	ज्ञापांक:623-624 बिहार बीड़ी एवं सिगार कर्मचारी (नियोजन एवं सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली 2016.
17.	17-02-2016	ज्ञापांक:227 श्रीमती पुनम कुमारी, श्रम अधीक्षक, डालमियानगर को दिनांक शिशु देखभाल अवकाश की स्वीकृति एवं श्री अमरेन्द्र नारायण,श्रम अधीक्षक,(सामान्य) औरंगाबाद को अतिरिक्त प्रभार दिए जाने के संबंध में.
18.	16-02-2016	ज्ञापांक:225 श्री विपिन दत्त पाठक, पीठासीन पदाधिकारी, औद्योगिक न्यायाधिकरण, पटना को निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित किये जाने के सम्बन्ध में.
19.	10-02-2016	ज्ञापांक:526-527 श्रम अधिनियमों में निरिक्षण की व्यवस्था के पुर्नस्थापन/पुनर्विचारण के प्रयोजनार्थ निम्न,माध्यम तथा उच्च श्रेणी के जोखिम वाले उद्योगो/स्थापनों का वर्गीकरण एवं निरिक्षण की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में.
20.	05-02-2016	ज्ञापांक:221 श्री प्रभाकर कुमार प्रभात, उप प्राचार्य औ० प्र० संस्थान, हथुआ गोपालगंज को अतिरिक्त प्रभार देने एवं निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का कार्य दिए जाने के सम्बन्ध में.
21.	01-02-2016	ज्ञापांक:204 श्रीमती संगीता, पीठासीन पदाधिकारी, श्रम न्यायालय, पटना को सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना स०- 890 दिनांक 19.01.16 के आलोक में अपर जिला एव सत्र न्यायालय, पटना के पद पर योगदान करने हेतु विरमित किये जाने के सम्बन्ध में.
22.	27-01-2016	ज्ञापांक:202 श्री कुमार प्रमोद नारायण सिंह श्रम अधीक्षक (कृषि श्रमिक) समस्तीपुर की 15 दिनों की उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति दिए जाने के सम्बन्ध में.
23.	12-01-2016	Letter no 112 dated 12-01-2016.
24.	07-01-2016	ज्ञापांक:199श्री नारायण प्रसाद कुंवर, श्रम अधीक्षक के पद पर सेवा संपुष्ट किये जाने के संबंध में।
25.	04-01-2016	ज्ञापांक:24 बाल श्रम(प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम के अंतर्गत निरीक्षक की शक्ति प्राप्त पदाधिकारियों को सूचित करने के संबंध में.
26.	08-10-2015	Notification:3232-3233 Variable Dearness Allowance in the minimum rates of wages fixed/revised for the different categories of employees employed in the scheduled employments with effect from 01-10-2015.
27.	08-10-2015	Notification:3230-3231 Variable Dearness Allowance in the minimum rates of wages fixed/revised for the different categories of employees employed in the scheduled employments with effect from 01-10-2015.
28.	08-10-2015	Notification:3228-3229 Variable Dearness Allowance in the minimum rates of wages fixed/revised for the different categories of employees employed in the scheduled employments with effect from 01-10-2015.

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
अधिसूचना

एस॰ओ॰.......................................   पटना, दिनांक– 10-2-16

औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2016 के लिए निरूपित व्यवसाय सुधार कार्य योजना के अर्न्तगत निम्न तथा मध्यम श्रेणी के जोखिम वाले उद्योगों/स्थापनों के लिए स्वअभिप्रमाणन की अनुमति देने की व्यवस्था निरूपित करने/अन्य पक्ष प्रमाण (Third Party Certification) की सुविधा अनुमान्य करने का परामर्श दिया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में विभिन्न श्रम अधिनियमों में निरीक्षण की व्यवस्था के पुर्नस्थापन/पुर्नविचारण के प्रयोजनार्थ निम्न, मध्यम तथा उच्च श्रेणी के जोखिम वाले उद्योगों/स्थापनों का वर्गीकरण निम्नानुसार किया जाता है:–

1. संलग्न परिशिष्ट–''क'' के अनुसार सभी कारखानों के लिए 13 बिन्दुओं पर भारित अंक के औसत के आधार पर जोखिम का वर्गीकरण निम्न, मध्यम तथा उच्च श्रेणी में किया जायेगा ।
2. इसके अतिरिक्त निम्नलिखित कारखानों/औद्योगिक स्थापना/दुकान/प्रतिष्ठानों को उच्च/निम्न/मध्यम जोखिम में निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाता है:–

(i) उच्च जोखिम के कारखानें /औद्योगिक स्थापना /दुकान /प्रतिष्ठान–

(क) वैसे कारखाने जिनमें विगत कैलेण्डर वर्ष में सांघातिक दुर्घटना हुई हो।

(ख) वैसे कारखानें/औद्योगिक स्थापना/दुकान/प्रतिष्ठान जिनमें वेतन भुगतान, कम मजदूरी भुगतान या बाल श्रम नियोजन के लिए विगत कैलेण्डर वर्ष में अभियोजन दायर किया गया हो ।

(ग) वैसे कारखानें/औद्योगिक स्थापना/दुकान/प्रतिष्ठान जहाँ 150 या अधिक कामगार नियोजित होते हों ।

(घ) वैसे कारखानें/औद्योगिक स्थापना/दुकान/प्रतिष्ठान जिसमें 50% से अधिक कामगार ठेका श्रमिक हो या 50% से अधिक महिला कर्मकार नियोजित होती हों।

(ड़) वैसे कारखानें/औद्योगिक स्थापना/दुकान/प्रतिष्ठान जहाँ विगत कैलेण्डर वर्ष में हड़ताल या तालाबन्दी की घटना हुई हो।

(ii) निम्न जोखिम के कारखानें /औद्योगिक स्थापना /दुकान /प्रतिष्ठान–

(क) वैसे कारखानें /औद्योगिक स्थापना/ दुकान/ प्रतिष्ठान जहाँ विगत पाँच कैलेण्डर वर्ष में कोई हड़ताल/ तालाबन्दी नहीं हुई हो।

(ख) वैसे दुकान/ प्रतिष्ठान जिसमें 10 से कम कर्मचारी नियोजित हों ।

(ग) वैसे कारखानें /औद्योगिक स्थापना/ दुकान/ प्रतिष्ठान जिसके विरूद्ध विगत पाँच कैलेण्डर वर्ष में कोई अभियोजन दायर नहीं किया गया हो।

(iii) वैसे प्रतिष्ठान जो उपर्युक्त कंडिका–(i) तथा (ii) से आच्छादित नहीं हैं, को मध्यम श्रेणी के जोखिम वाला कारखानें/औद्योगिक स्थापना/दुकान/प्रतिष्ठान माना जायेगा ।

(iv) वैसे कारखानें/औद्योगिक स्थापना/दुकान/प्रतिष्ठान जो सरकार द्वारा निर्धारित तिथि तक अपनी विहित वार्षिक विवरणी श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार के वेबसाईट पर अपलोड नहीं करेंगें उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा।

(v) यदि परिशिष्ट– क के अनुसार वर्गीकरण एवं कंडिका 02 के अनुसार वर्गीकरण में भिन्नता हो तो दोनो में से उच्तरं जोखिम वाले वर्ग में संबंधित उद्योग/स्थापना को माना जायेगा।

(संख्या–1/एफ01–103/2016 श्र०सं० 526 पटना, दिनांक– 10-2-16

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(हस्ताक्षर) 10/2/16

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः– 1/एफ01–103/2016 श्र0सं0– 526 पटना, दिनांक 10-2-16

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट,मुद्रण कोषांग, वित्त विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ प्रेषित। 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

(हस्ताक्षर) 10/2/16

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–1/एफ01–103/2016 श्र0सं0– 526 पटना, दिनांक 10-2-16

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, बिहार, पटना/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, बिहार, पटना/सभी प्रधान सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त /सभी जिला पदाधिकारी/महाधिवक्ता, बिहार, उच्च न्यायालय, पटना/ स्थानीक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/अवर सचिव,श्रम संसाधन विभाग/सचिव, बिहार चैम्बर कॉमर्स, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 10/2/16

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–1/एफ01–103/2016 श्र0सं0– 526 पटना, दिनांक 10-2-16

प्रतिलिपिः– मुख्य कारखाना निरीक्षक, बिहार, पटना/मुख्य वाष्पित्र निरीक्षक, बिहार, पटना/निदेशक, कृषि श्रमिक, बिहार, पटना/मुख्य निरीक्षी पदाधिकारी, बिहार, पटना/सभी उप श्रमायुक्त कृषि श्रमिक सहित/ सभी सहायक श्रमायुक्त कृषि श्रमिक सहित /सभी श्रम अधीक्षक, कृषि श्रमिक सहित/सभी कारखाना निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 10/2/16

सरकार के अवर सचिव।

परिशिष्ट– क

General Guideline for classification of Industries/Factories as Low/ Medium/High Risk Industries/Factories		
Sl. No.	Description of apprehension (s)	Score Scale
1	2	3
1	**Total Man Power** engaged per day & Total rated capacity (power) installed expressed in H.P.	
(a)	**Workers (w)** (i). Less than 20 workers (ii) Equal to or above 20 but less than 50 Workers (iii) Equal to or above 50 but less than 100 Workers (iv) Equal to or above 100 workers but less than 250 workers (v) Equal or above 250 workers	 02 04 06 09 10
(b)	**H.P** (i) Up to 50 H.P (ii) Above 50 H.P but less than 500 H.P (iii) 500 H.P or above	 02 06 08
2	**Locations**	
(a)	**Population** (i) Near 1 K.m radius of Municipal area (ii) Municipal area (iii) Municipal area +Public place (Hospital, station, school,market etc.) (vi) Others	 03 04 06 02
(b)	**Seismic Zone** (i) Zone II (Least Active) (ii) Zone III (Moderate) (Ara, Buxar, Bhojpur, Jahanabad, Nawada, Gaya, Aurangabad, Rohtas, Kaimur, Arwal.) (iii) Zone IV (High) (Motihari, Bettiah, Sheohar, Gopalganj, Siwan, Saran, Muzaffarpur, Vaishali, Samastipur, Patna, Nalanda, Sheikhpura, Lakhisarai, Begusarai, Khagaria, Saharsa, Bhagalpur, Katihar, Purnia, Kishanganj, Banka, Jamui, Munger, Madhepura, Darbhanga. (iv) Zone V (Highest Risk) (Madhubani, Supaul, Araria, Sitamarhi, Darbhanga, Madhepura, Saharsa Kishanganj, Muzaffarpur, Sheohar, Purnia)	 NA 03 04 05
(c)	**Lightening/ Thundering Area**	NA
(d)	**Flood affected Area** (i) Vulnerable -13 districts (West Champaran, Gopalganj, Siwan, Saran, Buxar, Bhojpur, Patna, Nalanda, Lakhisarai, Sheikhpura, Purnia, Araria, Kishanganj) (ii) Most Vulnerable- 15 districts (East Champaran, Sheohar, Sitamarhi, Katihar, Madhubani, Vaishali, Muzaffarpur, Darbhanga, Samastipur, Madhepura, Supaul, Saharsa, Khagaria, Begusarai, Bhagalpur.)	 04 05

(e)	**Near MAH Unit**	05
3	**MAH Unit**	10*
4	**Hazardous Operations** (section-2 cb of Factories Act, 1948) and Ist schedule	08
5	**Occupational Health Hazards (schedule-3 of Factories Act, 1948)**	08
6	**Dangerous Operations** (Refer schedule to Bihar Factories Rules, 1950)	07
7	**Chemical process** (Refer schedule to Bihar Factories Rules, 1950)	07
8	**Storing Chemicals (Please refer to control of Industrial Major Accident Hazardous Rules, 1950)** (i) Below threshold quantity (ii) Equal to or above threshold quantity	07(Q<) 09(Q>)
9	**Category of Factories under Central Pollution Control Board** (i) Non Polluting (ii) Green (iii) Orange (iv) Red	02 04 06 08
10	**Operation in shifts** (i) General (ii) Shift	NA 05
11	**Approach Road to the units** (i) width less than 20 feet (ii) width Equal to or above 20 feet	06 NA
12	**Fire Prone Factories(Please refer to Factories Rules 1950)** (i) Class A (ii) Class B (iii)Class C (iv)Class D & E	03 04 06 08
13	**Elevation of work place** (i) Ground Floor (ii) On & above first floor or in basements (iii) on and above 4 floors. (40 feet from ground level)	NA 04 06

Note:-

(1) Score Scale (1 to 10 Number)
(2) Higher Score indicates high risk
(3) Total Score is rms (root mean square) value of scores attributed from Serial no. 01 to 13
(4) rms value of n Number (a, b, c,……… n) is given by
{(a ^2+b^2+c^2+……………………+n^2)/n}^1/2
(5) Total score> or = 4.5 **(High Risk)**
(6) Total score <4.5 and > 2.5 **(Medium risk)**
(7) Total score <or equal to 2.5 **(Low risk)**
(8) Total rated capacity (Power) of the machineries and Plants installed and expressed in Horse Power.

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग।
अधिसूचना

एस. ओ.................................. पटना, दिनांक– 10.2.16

औद्योगिक नीति एवं सम्बर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016 के लिए निरूपित व्यवसाय सुधार कार्य योजना (Business Reform Action Plan) के अंतर्गत उद्योगों/स्थापनाओं/कारखानों को निम्न, मध्यम तथा उच्च श्रेणी के जोखिम (Risk) वाले इकाइयों में वर्गीकरण करते हुए विभिन्न श्रम अधिनियमों में निरीक्षण की व्यवस्था का पुनरीक्षण का परामर्श दिया गया है। तद्नुसार बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या–1/एफ1–103/2016श्र0सं0 – 526 दिनांक 10.02.16 के द्वारा उद्योगों/स्थापनाओं/कारखानों को विभिन्न श्रेणी के जोखिम वाले इकाइयों में वर्गीकरण के लिए मापदंड निर्धारित किया गया है। इस मापदंड के अनुसार विभिन्न श्रेणी के जोखिम वाले इकाइयों में निरीक्षण की व्यवस्था निम्नवत् निरूपित की जाती है :–

(क) **निम्न जोखिम वाले उद्योग/स्थापना/कारखाना (Low Risk Industries/ Establishment/Factories):** बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 1/एफ1–103/2016श्र0सं0 –526 दिनांक 10.02.16 के द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार जो उद्योग/स्थापना/कारखाना निम्न जोखिम वाले श्रेणी में आएंगे उन्हें दैनंदिनी निरीक्षण प्रक्रिया से विमुक्त करते हुए सभी श्रम अधिनियमों के अंतर्गत स्व–अभिप्रमाणन की सुविधा दी जाएगी। यह सुविधा निम्नांकित शर्त्तों के अनुपालन होने पर दी जाएगी :–

(i) संबंधित उद्योग/स्थापना/कारखाना सरकार के द्वारा निर्धारित स्व–अभिप्रमाणन की योजना में भागीदार बनने के लिए आवेदन करें तथा इस योजना के अंश बनें।

(ii) यह उद्योग/स्थापना/कारखाना सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा के अनुसार विभिन्न श्रम अधिनियमों के अंतर्गत विहित वार्षिक विवरणी सरकार द्वारा निर्धारित Portal पर Upload करेंगे एवं Online विहित समेकित पंजी में वांछित विवरणी का संधारण करेंगे।

ऐसे निम्न जोखिम वाले उद्योग जो उपरोक्त दोनों शर्त्तों को पूरा करते हैं उन्हें दैनंदिनी निरीक्षण से मुक्त करते हुए उनका निरीक्षण प्रत्येक पाँच वर्ष में एक बार किया जाएगा तथा ऐसे उद्योग/स्थापना/कारखाना में से प्रत्येक वर्ष कुल संख्या का 20% (बीस प्रतिशत) से ज्यादा का निरीक्षण नहीं किया जाएगा।

यह निरीक्षण व्यवस्था उन मामलों में लागू नहीं होगी जहाँ दुर्घटना आदि के मामले में संबंधित अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित अवधि में निरीक्षण करना आवश्यक हो।

(ख) मध्यम जोखिम वाले उद्योग/स्थापना/कारखाना (Medium Risk Industries/Establishment/Factories) : बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या–1/एफ1–103/2016श्र0सं0–526 दिनांक 10.02.16 द्वारा उद्योग / स्थापना /कारखाना के वर्गीकरण अलग–अलग जोखिम वाले वर्गों में किया गया है। इनमें से मध्यम श्रेणी के जोखिम वाले उद्योग/स्थापना/कारखाना के लिए अन्य पक्ष प्रमाणन (Third Party Certification) की सुविधा कार्यान्वित की जाएगी। यदि मध्यम श्रेणी के जोखिम वाले ऐसे उद्योग/स्थापना/कारखाना संबंधित श्रम अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित अन्य पक्ष (Third Party)/ सुयोग्य व्यक्ति (Competent Person) के द्वारा संबंधित श्रम अधिनियमों के अनुपालन का अंकेक्षण कराकर संबंधित अधिनियमों के अंतर्गत सरकार द्वारा विहित तिथि तक अंकेक्षण विवरणी दाखिल कर देते हैं, तो उन्हें दैनंदिनी निरीक्षण की प्रक्रिया से मुक्त रखा जाएगा।

ऐसे उद्योग/स्थापना/कारखाना का निरीक्षण तभी किया जाएगा अगर वे निर्धारित समय सीमा के अन्दर अन्य पक्ष से निरीक्षण कराकर विवरणी विहित तिथि तक नहीं प्रस्तुत करते हैं अथवा निर्धारित समय सीमा तक अपनी विहित वार्षिक विवरणी नहीं समर्पित करते हैं। यह निरीक्षण व्यवस्था उन मामलों में लागू नहीं होगी जहाँ दुर्घटना आदि के मामले में संबंधित अधिनियमों के अंतर्गत निर्धारित अवधि में निरीक्षण करना आवश्यक हो।

(संख्या–1/एफ01–105/2016श्र0सं0 527 पटना, दिनांक 10-2-16)

बिहार राज्यपाल के आदेश से

अरविन्द नारायण मिश्र

सरकार के अवर सचिव। 10/2/16

ज्ञापांक:– 1/एफ01–105/2016श्र0सं0 527 पटना, दिनांक 10-2-16

प्रतिलिपि:–प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट मुद्रण कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अरविन्द नारायण मिश्र

सरकार के अवर सचिव। 10/2

ज्ञापांक:– 1/एफ01–105/2016श्र0सं0 527 पटना, दिनांक 10-2-16

प्रतिलिपि:–मुख्य सचिव, बिहार, पटना /मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, बिहार, पटना/अवर सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली /सभी जिला पदाधिकारी /सभी विभागाध्यक्ष/सचिव, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बिहार, पटना /सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/महाधिवक्ता, बिहार उच्च न्यायालय, पटना/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभागं, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अरविन्द नारायण मिश्र

सरकार के अवर सचिव। 10/2/16

ज्ञापांकः– 1/एफ01–105/2016श्र0सं0 527 पटना, दिनांक 10.2.16

प्रतिलिपिः– मुख्य कारखाना निरीक्षक, बिहार, पटना /मुख्य निरीक्षी पदाधिकारी, बिहार,पटना/निदेशक, कृषि श्रमिक, बिहार, पटना/सभी उप श्रमायुक्त (कृषि श्रमिक सहित)/सभी सहायक श्रमायुक्त (कृषि श्रमिक सहित)/सभी कारखाना निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

10/2/16

सरकार के अवर सचिव।